न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर।

अपील जीसीएमएस **नम्बर 2021/68**

1. लालाराम पुत्र हेमा
2. नेमी चन्द पुत्र जगदीश पौत्र हेगा
   समस्त जाति अहीर ग्राम खपरिया, तहसील आमेर जिला जयपुर ।

– अपीलान्ट

बनाम

1. सागर मल पुत्र हनुमान
2. सुरेश पुत्र हनुमान
3. चावली देवी पत्नी हनुमान
   समस्त जाति अहीर ग्राम खपरिया, तहसील आमेर जिला जयपुर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ जयपुर दिनांक 22.02.2021 प्रार्थना पत्र संख्या 05/2018 उनवानी लालाराम बनाम सागर व अन्य

उपस्थित–

1. श्री बंशीधर जाट, वकील अपीलान्ट
2. श्री प्रवीण चौधरी, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पों.नं. 4 की ओर से

अपील जीसीएमएस **नम्बर 2021/69**

1. लालाराम पुत्र हेमा
2. नेमी चन्द पुत्र जगदीश पौत्र हेगा
   समस्त जाति अहीर ग्राम खपरिया, तहसील आमेर जिला जयपुर ।

– अपीलान्ट

बनाम

1. सागर मल पुत्र हनुमान
2. सुरेश पुत्र हनुमान
3. चावली देवी पत्नी हनुमान
   समस्त जाति अहीर ग्राम खपरिया, तहसील आमेर जिला जयपुर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ जयपुर दिनांक 22.02.2021 प्रार्थना पत्र संख्या 06/2018 उनवानी लालाराम बनाम सागर व अन्य

उपस्थित–

1. श्री बंशीधर जाट, वकील अपीलान्ट
2. श्री प्रवीण चौधरी, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पों.नं. 4 की ओर से

निर्णय

दिनांक –07.02.2024

1. यह दोनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर के निर्णय दिनांक 22.02.2021 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है। दोनों प्रकरणों के तथ्य, विषयवस्तु, पक्षकार एवं निर्णय किये जाने

संभागीय आयुक्त
जयपुर

वाले बिन्दु समान होने के कारण इन दोनों प्रकरणों का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है ।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 13.05.1986 को आंवटन सलाहकार समिति की नियमन की सिफारिश उपरान्त उप जिलाधीश आमेर के पत्रांक राजस्व/88/129–32 दिनांक 21.01.1988 द्वारा ग्राम खपरिया की आराजी खसरा नम्बर 289 रकबा 8 बीघा भूमि हनुमान पुत्र जोधा, जाति अहीर के हक में आंवटन एवं ग्राम खपरिया तहसील आमेर जिला जयपुर के गत खसरा नम्बर 289 रकबा 8 बीधा किस्म चारागाह को राजस्व अभियान ग्राम पंचायत रामपुरा डाबडी में भूमि आंवटन सलाहकार समिति की बैठक में सदस्यों द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि को दिनांक 13.05.1986 को हनुमान पुत्र जोधा जाति अहीर को निमयन की सिफारिश करने पर वादग्रस्त भूमि के नियमन किये जाने से व्यथित होकर अपीलान्ट लालाराम पुत्र श्री हेमा वगै. द्वारा दो अपीलें अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर के यहां की गयी। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर अपने निर्णय दिनांक 22.01.2021 से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) सारहीन होने के कारण अस्वीकार करने के आदेश परित किये गये हैं।

3. अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 22.02.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट लालाराम पुत्र जगदीश पौत्र हेमा वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एव उपजिलाधीश आमेर द्वारा पारित आदेश क्रमांक 88/129–32 दिनांक 21.01.1988 बाबत आंवटन भूमि खसरा नम्बर 289 को निरस्त करने एवं प्रार्थना पत्र संख्या 06/2018 निर्णय दिनांक 22.02.2021 उनवानी लालाराम बनाम सोगर व अन्य न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 22.02.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधिनस्थ न्यायालय का तहत रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. वकील अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्टस द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र आदेश 14 नियम 4 कृषि भूमि आंवटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम खपरिया तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित साबिक खसरा नम्बर 289 रकबा 8 बीघा किस्म चारागाह जिसके हाल खसरा नम्बर 774, 777, 778, 789, 772/794, 773/796 एवं 792/794 बने है को राजस्व कैम्प ग्राम पंचायत रामपुरा डाबडी में भूमि आंवटन सलाकार समिति की बैठक हुई जिसमें आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यो के द्वारा उक्त भूमि का दिनांक 13–05–1986 को हनुमान पुत्र जोधा अहीर के नाम नियमन करने की सिफारिश करने की गई जिसके विरूद्व अतिरिक्त कलेक्टर के यहाँ निवेदन किया गया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता 3 के पति हनुमान पुत्र जोधा का उक्त भूमि पर निरन्तर कब्जा काश्त नही रहा है तथा भूमि की किस्म चारागाह भूमि है, जिसकी किस्म परिवर्तित कर कृषि हेतू आंवटन नही की जा सकती है व खसरा नम्बर 792/794 पर प्रार्थी संख्या 1 के पिता व प्रार्थी 2 के दादा काबिज होकर उपयोग करते आ रहे थे। पानी का होंद, शौचालय, स्नानघर मकान एवं जानवरों हेतु नोहरा बनाकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है गत खसरा नम्बर 289, के समय से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है शेष भूमि पर आंवटी हनुमान पुत्र जोधा के अन्य भाईयो का कब्जा काश्त चला आ रहा है बिना कब्जे काश्त के भूमि नियमन की गई है। जिसे खारिज की जावे। दिनांक 13–05–1986 को सम्पूर्ण आराजीयात पर कब्जा काश्त नही होने के उपरान्त भी भूमि गलत तरीके से नियमन करने की प्रशंसा की गई जो विधि विरुद्ध थी। तथा ग्राम पंचायत अनोपपुरा का सरपंच भी मौजूद नही था ना ही ग्राम पंचायत मुख्यालय में कैम्प लगाया गया अन्य स्थान पर कैम्प लगाया गया है जिसमें कोरम पूर्ण नही थी। इस प्रकार मिस रिप्रजेन्टेशन के आधार पर चरागाह भूमि को आंवटन करने का अधिकार नही होने के उपरान्त भी कर दी गई, तथा आंवटन कमेटी के समक्ष किसी प्रकार का आवेदन हनुमान सहाय

संभाग आयुक्त
जयपुर

द्वारा नही किया गया। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात् रिकोर्ड तलब किया गया, तहसीलदार आमेर द्वारा रिकोर्ड उपलब्ध नही होना जाहिर किया तथा आंवटन रजिस्टर उपलब्ध करवाया गया, अप्रार्थी द्वारा दिनांक 25–02–2020 को जवाब मय दस्तावेजात प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 289 में 83 बीघा भूमि थी जिसमें से केवल मात्र 8 बीघा भूमि हनुमान पुत्र जोधा को दिनांक 13–05–1986 को नियमन की सिफारिश की गई है तथा सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर भूमि आंवटन की गई है व अतिरिक्त कथन में उल्लेख किया, कि हनुमान पुत्र जोधा भूमि हीन कृषक श्रेणी में आता है तथा नियमन करने की सिफारिस करते हुये मूल पत्रावली जिला कलेक्टर को प्रेषित की गई, जिस पर जिला कलेक्टर ने 24–12–1986 को चरागाह से सिवाई चक करने के आदेश दिये गये एवं गैर खातेदारी का नामान्तकरण तस्दीक किया गया, खसरा नम्बर 289 में से 7 बीघा भूमि के लिये हेमा पुत्र नानगा ने प्रार्थना पत्र आंवटन हेतु प्रस्तुत किया जो दिनांक 08–05–1997 को खारिज फरमा दिया गया । अधिनस्थ न्यायालय ने उभय पक्षो की बहस सुनी जाकर 22–02–221 को प्रार्थना पत्र खारिज फरमा दिया गया। अपीलाधीन आदेश विधि विधान एंव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के विपरीत पारित किया गया है इस कारण अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विसिद्ध तरीके से निर्णय पारित किया है जबकि चारागाह भूमि किसी भी व्यक्ति को कृषि हेतू आवंटन नही की जा सकती है इस बिन्दू के बाबत किसी प्रकार का निर्णय पारित नही किया गया कि क्या चारागाह भूमि का नियमन किया जा सकता है अथवा नही। इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जिसमें अपीलान्टस का मौके पर कब्जा काश्त है का अवलोकन किये बिना ही एवं बिना कब्जे की रिपोर्ट मंगवाये ही निर्णय पारित करने में अहम कानूनी भूल की है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह उल्लेख नही किया है कि अपीलान्ट से विवादित आराजीयात पर कब्जा नही था। जबकि अपीलान्ट आज भी मौके पर पुख्ता निर्माण कर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है इस कारण भी निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यह मुख्य बिन्दू था कि आंवटन सलाहकर समिति की कौरम पूर्ण नही थी तथा जिस ग्राम पंचायत मे भूमि स्थित है का सरपंच आवंटन सलाहकार समिति का सदस्य नही था तथ केवल मात्र नियमन की सिफारिश की गई थी आज दिनांक तक भी नियमन की कार्यवाही सम्पूर्ण नही की गई है। इसका निर्णय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नही किया गया केवल मात्र अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह उल्लेख कर दिया कि पुराने कब्जे के आधार पर नियमन किया गया है वह सही हैं जबकि आवंटी चारागाह भूमि पर अतिक्रमी तथा अतिक्रमी को किसी भी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नही किये जा सकते है । इस कारण भी आदेश अपास्त किये जाने योग्य है । आज दिनांक तक भी खातेदारी अधिकार नही दिये गये है क्योकि गलत तरीके से आंवटन किया गया है तथा हनुमान पुत्र जोधा भूमिहीन न होकर कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार था जो दस्तावेजात मेरे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे जिनका अवलोकन किये बिना ही निर्णय पारित करने में अहम कानूनी भूल की है । अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष हनुमान पुत्र जोधा के द्वारा जो मिसल आवेदन आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था अथवा नही का रिकोर्ड प्राप्त हुये बिना ही निर्णय पारित कर दिया गया जबकि वास्तविकता यह है कि 13–05–1986 को किसी प्रकार का आवेदन ही प्रस्तुत नही किया गया। इस कारण भी आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। अतः यह अपील स्वीकार कर एवं उपजिलाधीश आमेर द्वारा पारित आदेश क्रमांक 88/129–32 दिनांक 21.01.1988 बाबत आंवटन भूमि खसरा नम्बर 289 को निरस्त करने एवं प्रार्थना पत्र संख्या 06/2018 निर्णय दिनांक 22.02.2021 उनवानी लालाराम बनाम सागर व अन्य न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 22.02.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता व 3 के पति हनुमान पुत्र जोधा को ख0नं0 772/794 पर प्रार्थी सं0 1 के पिता व प्रार्थी सं. 2 के दादा का कब्जा काश्त नहीं है ना ही ख0नं0 774 के दक्षिणी पूर्वी सीमा पर आंवटी हनुमान पुत्र जोधा के अन्य भाई का कब्जा काश्त है। हनुमान पुत्र जोधा को पुराने कब्जे व नियमन की ार्तों की पूर्ति करने के आधार पर ख0नं0 289 में से 8 बीघा भूमि का आंवटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 13.05.1986 को किया गया था तथा आंवटित किये जाने की सिफारिश जिला कलक्टर जयपुर को प्रे ित की गई थी। आंवटी हनुमान पुत्र जोधा के भूमिहीन कृ ाक होने की संतु टी उपरान्त ही आंवटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 13.05.1986 को भूमि के नियमन की सिफारिश करते हुए मूल पत्रावली जिला कलक्टर कलक्टर को प्रे ित की गई थी। जिला कलक्टर महोदय के पत्रांक राजस्व 11/आर–6/86 15777/780 दिनांक 24.12.2986 की पालना में ख0नं0 289 रकबा 8 बीघा को चारागाह से सिवायचक दर्ज किया गया तथा दिनांक 21.01.1988 रकबा 8 बीघा को चरागाह से सिवायचक दर्ज किया गया तथा दिनांक 21.01.1988 को गैर–खातेदारी दर्ज की गई। इसके पश्चात नामान्तरकरण संख 1 4 हनुमान पुत्र जोधा के नाम तस्दीक किया गया है। वादग्रस्त भूमि पर हनुमान पत्र जोधा का पूर्व से कब्जा रहा है तथा वे परिवार सहित मकान बनाकर निवास कर रहे हैं। वादग्रस्त भूमि के भूमि संबंधित दस्तावेजा वैधानिक होने के कारण निवास कर रहे है। वादग्रस्त भूमि के भूमि संबंधित दस्तावेज वैधानिक होने के कारण ही बैंक द्वारा ऋण दिया गया है तथा राज्य सरकार द्वारा फसल खराब होने पर मुआवजा दिया गया है। तत्समय के रिकार्ड अनुसार आंवटी हनुमान पुत्र जोधा के स्वयं के नाम से कोई भूमि नहीं थी। उनके पूर्वज का वादग्रस्त भूमि पर दिनांक 01.01.1970 से पूर्व का कब्जा काश्त था, राजस्व अभियान में आंवटन सलाहकार समिति बनायी गई थी। गठित आंवटन सलाहकार समिति द्वारा वैधानिक रूप से भूमिहीन होने कारण तथा व 1970 से पूर्व का कब्जा काश्त होने के कारण उनके पूर्वज को वैधानिक रूप से नियमन की सिफारिश की गई थी । नियमन की सिफारिश के उपरान्त जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा चरागाह भूमि को सिवायचक करने के पश्चात तत्कालीन उप–जिलाधीश द्वारा नियमानुसार हनुमान पुत्र जोधा को भूमि का आंवटन किया गया है। तत्पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.02.2021 पारित किया है जो उचित व विधिसम्मत है। अतः यह अपील स्वीकार कर एवं उपजिलाधीश आमेर द्वारा पारित आदेश क्रमांक 88/129–32 दिनांक 21.01.1988 बाबत आंवटन भूमि खसरा नम्बर 289 को एवं प्रार्थना पत्र संख्या 06/2018 निर्णय दिनांक 22.02.2021 उनवानी लालाराम बनाम सागर व अन्य न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 22.02.2021 को यथावत रखे जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि राजस्व अभियान ग्राम पंचायत रामपुरा में दिनांक 13.05.1986 को आंवटन सलाहकार समिति की बैठक हुई जिसमें समिति के सदस्यों द्वारा वादग्रस्त भूमि के नियमन हेतु श्री हनुमान पुत्र जोधा अहीर, निवासी–खपरिया के नियमन की सिफारिश की गई थी। अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर द्वारा उपखण्ड अधिकारी आमेर से आंवटन से संबंधित मूल पत्रावली कार्यवाही रजिस्टर चाहा गया जिसके संदर्भ में उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा पत्र क्रमांक आंवटन/2019/1657 दिनांक 08.11.2019 प्रेषित कर अवगत कराया गया कि कार्यालय में रिकार्ड तलाश करने पर भी मूल पत्रावली प्राप्त नहीं हुई है। आंवटन रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रेषित की गई है। आंवटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 13.05.1986 को जो भूमि नियमन की सिफारिश की गई है वो भूमि चारागाह भूमि रही है। चारागाह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में विहित

भूमियों की श्रेणी में आती है जिनमें किसी भी प्रकार से खातेदारी अधिकार न तो प्रदान किये जा सकते है न ही मिल सकते है। इस संबंध में अब्दुल रहमान प्रकरण में भी की गई विधि की व्याख्या मार्गदर्शन प्रदान करती है। इसी प्रकार हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत नियमन में अब्दुल रहमान में जारी दिशा निर्देशों के तहत भी चारागाह भूमि बाबत भी जो व्याख्या की गई है जिसके तहत चारागाह भूमि में कोई हक व अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं तथा चारागाह भूमि को संरक्षित किया जाना उचित है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.02.2021 पारित किया है जो विधि सम्मत नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.02.2021 को निरस्त किया जाता है तथा उपजिलाधीश आमेर द्वारा पारित आदेश क्रमांक 88/129–32 दिनांक 21.01.1988 बाबत आंवटन ग्राम खपरिया की आराजी खसरा नम्बर 289 रकबा 8 बीघा भूमि हनुमान पुत्र जोधा, जाति अहीर के हक में आंवटन नियमन को निरस्त किया जाता है एवं उक्त आंवटन आदेश दिनांक 21.01.1988 के पश्चात हुये राजस्व अभिलेख के इन्द्राजात को भी अपास्त किया जाता है। तहसीलदार, तहसील आमेर जिला जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि वापस राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज किया जावे।

(डॉ0 आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।